तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/2438/2004/टीए/नागौर** **रामकुवार बनाम रामचन्द्र व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक प्रार्थीगण।
(2) श्री एस0पी0सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 ल0 3

निर्णय **दिनांकः 15–10–2019**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर, डीडवाना के वाद संख्या 154/1997 बउनवानी रामचन्द्र बनाम रामकुवार में पारित निर्णय दिनांक 09–06–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अप्रार्थीगण सं0 1 ल0 3 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विद्वान सहायक कलक्टर डीडवाना के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा मावा की सरहद में अवस्थित आराजी खसरा नं0 233 रकबा 219 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 316 रकबा 47 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 267 बीघा बाबत वाद के चरण सं0 2 में पक्षकारान का पारिवारिक सजरा दिखाते हुए यह कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ल0 12 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं। आराजी ख0 नं0 216 रकबा 47 बीघा 11 बिस्वा में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 13 का है, शेष 1/2 हिस्सा के खातेदार वादीगण व अन्य प्रतिवादीगण है। वह उनकी पैतृक सम्पति है। विवादग्रस्त भूमि का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स नहीं हुआ है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 5 ल0 11 विवादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाना चाहते हैं लेकिन प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण रकबा 109 बीघा का विभाजन को सहमत नहीं हैं। प्रार्थीगण व प्रतिवादी सं0 13 ने जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए वाद के वादीगण के कथनों को अस्वीकार किया। प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण ने कथन किया कि कमला ने एक राजस्व वाद वाद सं0 48/70 बउनवान कमला बनाम पूर्णाराम अदालत हाजा में प्रस्तुत किया जो कमला के पक्ष में दिनांक 24–6–1971 को डिक्री कर दिया एवं विवादग्रस्त भूमि का विभाजन उक्त डिक्री के अनुसार कर दिया गया। निर्णय सहायक जिलाधीश, डीडवाना दिनांक 24–6–1971 पूर्णाराम के विरूद्ध अंतिम हो चुका है। वादीगण उक्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / 2438 / 2004 / टीए / नागौर** **रामकुवार बनाम रामचन्द्र व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

डिक्री से पाबन्द हैं एवं अदालत हाजा को उक्त डिक्री की वैद्यता को देखने का अधिकार नहीं है। अन्त में वाद खारिज करने का निवेदन किया। अभिकथनों के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम की गई तथा वादीगण की शहादत पूर्ण हो चुकी है तथा प्रतिवादीगण की शहादत चल रही है। दौराने शहादत प्रतिवादी/प्रार्थीगण ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत दिनांक 30-1-1974 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद सं0 48/70 बउनवान कमला बनाम पूर्णाराम निर्णय दिनांक 24-6-1971 के निर्णय एवं डिक्री जिसको कि वादीगण ने उनके अधिकारों के प्रति वाद के चरण सं0 6 में बेअसर बताया है व प्रतिवादीगण ने भी अपने जवाब दावा में उसका कथन किया है। विद्वान सहायक कलक्टर, डीडवाना ने अपने निर्णय दिनांक 9-6-2004 द्वारा प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जिस निर्णय दिनांक 9-6-2004 से व्यथित होकर निगराकार ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- निगरानी पर दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4- दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता ने निगरानी मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 151 अस्वीकार करने का जो कारण दर्शाया है वह, पर्याप्त नहीं है। वादीगण ने अपने वाद के पैरा सं0 6 में सहायक जिलाधीश डीडवाना के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24-6-1971 का जिक्र करते हुए वाद प्रस्तुत करने का कॉज ऑफ एक्शन वाद के चरण सं0 14 में दर्शाया है एवं सम्पूर्ण खसरा नं0 233 रकबा 219 बीघा के बारे में वाद प्रस्तुत किया है जिसमें निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24-6-1971 में लिप्त भूमि रकबा 109 बीघा 14 बिस्वा सम्मिलित है। वादीगण स्वयं वाद प्रस्तुत करने का कॉज ऑफ एक्शन इस निर्णय एवं डिक्री को बताते है, साथ ही 109 बीघा 14 बिस्वा का खातेदार प्रार्थीगण की माता थी, में भी अपना हिस्सा होना जाहिर किया है। वादीगण स्वयं इस निर्णय व डिक्री को बेअसर होना बता रहे हैं तो इस निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की वादीगण की जिम्मेदारी थी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्रतिवादीगण ने यह प्रार्थना पत्र उक्त निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किये जाने हेतु उनकी साक्ष्य शुरू नहीं होने के पूर्व प्रस्तुत कर दिया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/2438/2004/टीए/नागौर</u>** **रामकुवार बनाम रामचन्द्र व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चूंकि सहायक जिलाधीश, डीडवाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 24-6-1971 का होना वादीगण स्वयं स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में इस निर्णय को जरिये रिबटल अन्य साबित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षण न्यायालय को इस आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार नहीं करना चाहिए था। परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस आधार पर अस्वीकार कर अपने क्षेत्राधिकार को काम में लेने में तात्विक अनियमितता एवं तात्विक अवैद्यता की है। अतः निगरानी स्वीकार करते हुए परीक्षण न्यायालय के आदेश दिनांक 9-6-2004 को निरस्त करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 151 स्वीकार करते हुए उक्त निर्णय दिनांक 24-6-1971 को रेकार्ड पर लिया जावें। उन्होंने अपने समर्थन में 2016 आर0आर0टी0 पेज 188, 2009 डी0एन0जे0 पेज 1059, 429 एवं 2004 डी0एन0जे0 पेज 675 के उद्धरण प्रस्तुत किये गये। 5- इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण/गैर निगराकार ने अभिभाषक निगराकार के तर्को का विरोध करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, उसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण की निगरानी खारिज योग्य है। 6- उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया। 7- परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 9-6-2004 में अंकित किया कि ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह माना जावे कि तथाकथित प्रतिलिपि अपीलीय अदालत की पत्रावली में थी या प्रतिवादी की पहुंच के बाहर थी। इस वाद में वादी पक्ष की शहादत पूर्ण हो चुकी है। इसलिए वादी को रिबटल का मौका भी नहीं मिल रहा है। अतः प्रतिवादी का आवेदन उपरोक्तानुसार खारिज किया जाता है। 8- वकील प्रतिवादी ने दिनांक 30-1-2004 को उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24-6-1971 को पत्रावली पर लेने के आदेश प्रदान करावें जिसका वादी की ओर से दिनांक 30-4-2004 को जवाब प्रस्तुत किया गया कि दावा में वादी की शहादत हो चुकी है और प्रतिवादी शहादत में है। यह दस्तावेज प्रतिवादी के पास जवाबदावा देने के समय भी था जो जानबूझकर पेश नहीं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / 2438 / 2004 / टीए / नागौर** **रामकुवार बनाम रामचन्द्र व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया। इस दस्तावेज को रिबिट करने के लिए वादी को समय नहीं दिया। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

9– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 4–8–2003 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। जवाबदावा की मद सं0 3 में प्रतिवादी ने स्वयं राजस्व वाद सं0 48/70 निर्णय दिनांक 24–6–1971 का हवाला दिया है जिससे स्पष्ट है कि जवाबदावे की तिथि को भी प्रतिवादीगण को निर्णय दिनांक 24–6–1971 का पूर्ण ज्ञान था लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावे के साथ पेश नहीं किया गया। प्रतिवादीगण का यह कथन कि यह दस्तावेज अपील नामान्तकरण की पत्रावली के साथ लगी हुई थी, आधारहीन है। ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह माना जावें कि तथाकथित प्रतिलिपि अपीलीय न्यायालय की पत्रावली में थी या प्रतिवादी की पहुंच के बाहर थी। वाद में वादी पक्ष की शहादत पूर्ण होने के कारण वादी को रिबटल का मौका भी नहीं मिल रहा है। अतः विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र सही रूप से खारिज किया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। इसलिए निगरानी भी काबिल खारिज योग्य है।

10– अतः उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए निगरानी अस्वीकार की जाती है। विद्वान सहायक कलक्टर डीडवाना के निर्णय दिनांक 09–06–2004 यथावत रखा जाता है।

11– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / 2438 / 2004 / टीए / नागौर** **रामकुवार बनाम रामचन्द्र व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए